सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
अवतार सिंह वगैरा बनाम . हरभजन कौर वगैरा व स्टेट
अपील प्रकरण सं0 84 /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
10.11.2017	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस दिनांक 20.11.2017 को पेश हो। [signature]	
20.11.17	अपीलांट के अधिवक्ता बार संघ के प्रस्तावानुसार, न्यायालय कार्य स्थगित होने के कारण उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं. 02 की ओर श्री मोहन लाल मादर Adv. ने वकालतनामा पेश किया, शा० मिसल हो। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस दिनांक 21.12.17 को पेश हो। [signature]	[illegible] [signature]
21.12.17	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन दिनांक 28.12.17 को पेश हो। [signature]	
28.12.17	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 23/01/18 को पेश हो। [signature]	
23/1/18	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 22/2/18 को पेश हो। [signature]	
22/2/18	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन दिनांक 13/3/18 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

19.02.2020 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर दिनांक 03.11.2017 अनवानी अवतार सिंह वगैरा बनाम अवतार सिंह करतार सिहं आदि में दर्ज इन्तकाल नम्बर 420 जो तस्दीक किया गया को निरस्त करने बाबत पेश की गई है। जिसे सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को है। अतः अपील अपीलार्थी दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2017 अनवानी अवतार सिंह वगैरा बनाम अवतार सिंह करतार सिंह आदि में इन्तकाल नम्बर 420 जो तस्दीक किया गया है वह अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 52/2013 अनवानी करतार सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 की पालना में दर्ज किया गया है जिसके विरूद्व अपील सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर को है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2017 की पालना में दर्ज इन्तकाल संख्या 420 जो तस्दीक किया गया है वह अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 52/2013 अनवानी करतार सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 की पालना में दर्ज किया गया है जिसे सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर को है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में यह स्वीकार किया है कि उक्त आदेश की विरूद्व माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के यहां अपील पेश की हुई है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner